

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 55/2024

योगेश बाबू वर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, गृह, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, कोटा रेंज, कोटा।
4. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), राजस्थान जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, कोटा सिटी, कोटा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.01.2024

आदेश की दिनांक : 12.01.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अभिभाषक

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कानि. के पद पर दिनांक 28.10.1996 में कोटा सिटी, कोटा में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.01.2019 (अनुलग्नक-3) के द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.12.2020 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अपीलार्थी का निलम्बन के दौरान मुख्यालय पुलिस लाईन जिला कोटा शहर से संचित पुलिस लाईन, जिला झालावाड़ किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.10.2022 (अनुलग्नक-4) द्वारा अपीलार्थी को बहाल किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.10.2020 के द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत अपीलार्थी को आरोप पत्र दिए गए थे, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 7987/2021 दायर की थी, जिसमें पारित आदेश दिनांक 02.03.2022 (अनुलग्नक-5) के द्वारा आरोप पत्र पर स्थगन प्रदान किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.12.2022 (अनुलग्नक-1)

के द्वारा अचानक अपीलार्थी का मुख्यालय परिवर्तन कोटा सिटी, कोटा से आयुक्तालय जयपुर में किया गया, जबकि अपीलार्थी का पूर्व में ही आदेश दिनांक 16.12.2020 द्वारा पुलिस लाईन कोटा शहर, कोटा से संचित पुलिस लाईन जिला झालावाड़ मुख्यालय किया गया था। जो कि राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 की धारा 34 एवं नियम 1989 का उल्लंघन है तथा अपीलार्थी को कोई यात्रा भत्ता का भुगतान भी नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर डी.बी.स्पेशल अपील 610, 613, 614, 615, 616, 620, 621, 622, 624, 630, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655 एवं 656/2021 सुरेन्द्र खोखर (कुमार) एवं अन्य बनाम शासन सचिव गृह एवं अन्य में पारित आदेश 29.11.2021 (अनुलग्नक-6) के द्वारा मुख्यालय परिवर्तन नहीं किया जा सकता केवल तैनाती की जा सकती है। माननीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 1925/2023 राधेश्याम नागर, 3423/2023 नरेश कुमार शर्मा, 848/2023 शंकर लाल, 1809/2023 रामचंद्र, 1941/2023 शीशपाल सिंह, 2415/2023 रवि एवं 3123/2023 दिनेश मीणा बनाम शासन सचिव गृह एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 13534/2021 महेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2021 की अनुपालना में स्थगन आदेश प्रदान किये गये है (अनुलग्नक-7)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.09.2023 (अनुलग्नक-8) के द्वारा माननीय न्यायालय ने अन्य जिला/रेंज में कानि./हैड कानि. के स्थानान्तरण को नियम विरुद्ध माना है तथा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 08.05.2023 को निरस्त करने के लिए महानिदेशक पुलिस को लिखा गया था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.12.2022 एवं 16.12.2020 (मुख्यालय परिवर्तन) को निरस्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी के विरुद्ध कोई भी अनाधिकृत कार्यवाही नियमों के प्रतिकूल नहीं करें तथा अपीलार्थी का मुख्यालय कोटा सिटी, कोटा में किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य पदोन्नति आदेश दिनांक 18.10.2022 (अनुलग्नक-6) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है। अनुलग्नक-6 के द्वारा अपीलार्थी को चयनित वेतन श्रृंखला में वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं हुई है।